न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–212/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/212)

1. नाथू पुत्र छोटूराम जाति बैरवा निवासी शोकलिया, तहसील टॉटोटी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 75/2014

उपस्थितः–

1. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः–30.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया। उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए जिस पर प्रतिवादी ने हाजिर अदालत होकर जवाब सरकार पेश किया एवं उसके पश्चात तनकियात कायम की गई तथा साक्ष्य वादी ली गई तत्पश्चात दिनांक 18.10.2019 को पत्रावली जिरह में अंकित की गई एवं उसके पश्चात भी पत्रावली पेशी दर पेशी चलती रही एवं अंत में वादी का वाद दिनांक 11.6.2024 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रार्थी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कोई जानकारी नहीं थी क्योकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को यह आश्वस्त किया गया था कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी कोई आदेश होगा सूचित कर दिया जाएगा परन्तु जब अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई तो दिनांक 6–8–2024 अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि तुम्हारा मुकदमा खारिज हो गया है अपील करनी होगी इस पर प्रार्थी ने दिनांक 6–8–2024 को ही नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 28.8.2024 को प्राप्त हुई जिसे लेकर प्रार्थी अपने घर गया तथा अपने परिवार से राय मशवरा कर व पैसा का इंतजाम कर दिनांक 12–9–2024 को अजमेर आया तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया किन्तु दिनांक 13–9–2024 से 16–9–2024 तक राजकीय अवकाश होने से आज दिनांक 17–9–2024 को तारीख जानकारी से बिना कोई विलम्ब किये यह अपील प्रस्तुत करायी है। जिसमें जानबूझ कर प्राथी ने कोई देरी नहीं की बल्कि जो देरी हुई है वह सदभाविक है जिसे क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** ***When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.***

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि वादी द्वारा अपने पिता छोटू पुत्र लाला को वाद वर्णित आराजीयात आवंटन होना बताया है तथा आवंटन आदेश की छायाप्रति पेश की है वादी द्वारा तत्समय राजस्व रिकार्ड नक्शा, जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए है और नहीं किसी प्रकार के कब्जे से संबंधित दस्तावेज पेश किए है इसलिए दावा डिक्री किया जाना संभव नहीं है एवं खारिज कर दिया उपरोक्त कथन सरासर गलत है क्योंकि वादी ने अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उपरोक्त भूमि वादी के पिता को आवंटित की गई थी एवं आवंटन के संबंध में सबूत प्रस्तुत कर दिया किन्तु उसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा यह अंकित करना कि तत्समय के राजस्व अभिलेख, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत नहीं किए है इसलिए दावा डिक्री नहीं किया जा सकता सरासर गलत अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी अपीलांट ने खसरा नम्बर 827 में 15 बीघा भूमि आवंटन किए जाने के बाबत आवंटन पत्र प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि सक्षम अधिकारियों द्वारा आवंटन कमेटी की मिटिंग में सभी सदस्यो की उपस्थिति में आवंटन किया गया था तथा आवंटन के पश्चात मौके पर कब्जा दिया गया तथा आज दिन तक अपीलांट वादी मौके पर काबिज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन स्पीकिंग आदेश से वादी का वाद ही निरस्त कर दिया जबकि आवंटन के पश्चात राजस्व अभिलेखो में अमलदरामद किए जाने का काम केवल ओर केवल राजस्व अधिकारियों का था किन्तु उन्होनें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर एक गरीब असहाय अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हैरान व परेशान किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन स्पीकिंग आदेश से केवल आदेशिका पर ही आदेश अंकित करते हुए दावा खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दावे एवं जवाब दावे के पश्चात तनकियात कायम की गई थी तथा उनके आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका पर ही निर्णय पारित कर दिया जो कि स्पष्टतया विधि विरूद्ध था एवं रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानो के विपरित है इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी ने आराजी खसरा नम्बर 1827/1 रकबा 20–01 बारानी 3 में से 15 बीघा भूमि अपने पिता छोटू पुत्र लाला चमार के नाम आवंटन होना दर्शाया है। पत्रावली में संलग्न रेकार्ड से इसकी पुष्टि नहीं होती है। वादी उक्त आवंटन का राजस्व रेकार्ड, नक्शा, जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल इत्यादि नकले संलग्न कर स्वयं सिद्ध करे। वांछित नकले खसरा गिरदावरी खसरा परिवर्तनशील आदि सम्मिलित करे। वादी के पिता को आवंटित भूमि की आवंटन सूची की नकल की छाया प्रति लगाई, जिसका अवलोकन करने से सूची में आवंटी का नाम क्रम संख्या 17 पर दर्ज है किंतु पत्रावली में तत्समय प्रचलित राजस्व रिकार्ड की नकलों के अभाव में पुष्टि नहीं हो रही है। वादी ने वाद पत्र में अपने पिता जो कि आवंटी है कि मृत्यु होना दर्शाया है, जिसमें वादी ही एकमात्र वारिस है। मृतक के अन्य कोई वारिस नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट वादी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 को पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील के माध्यम से कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का आवंटन वादी के पिता को प्राप्त हुआ था। आवंटन की तिथि से कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है। अतः वादी आवंटी का पुत्र होने से व निरंतर कब्जा होने से खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है। न्यायायल हाजा द्वारा जब पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि वादी द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए है जिससे यह पुष्टि हो कि विवादित आराजीयात वादी की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर आवंटन की पुष्टि नहीं होती है। विवादित आराजीयात का वादी के पिता को कब कब्जा दिया गया यह प्रमाणित नहीं है। उक्त आराजीयात वर्तमान में सिवायचक है, जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2068–2071 के अवलोकन से होती है जिसमें उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1827 रकबा 15 बीघा सरकारी भूमि अंकित है। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। वादी द्वारा सजरा पेश नहीं किया है। जिससे यह सिद्ध हो कि आवंटी के कितने वारिस है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए है जिससे कब्जा साबित हो। अपीलांट द्वारा खसरा व गिरदावरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उसका कब्जा सिद्ध हो। अतः उक्त आराजीयात सरकारी सिवायचक है। जिस पर बिना किसी दस्तावेजात के खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किए जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को वह किसी विधिक दस्तावेजों द्वारा साबित कर पाने में असफल रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुने-इजलास सुनाया गया।

30/4/25

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner